



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1055) पटना, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2026

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2026

सं० प्र०-7/नियम-01-04/2026-4511(S)—भू-बद्ध बिहार राज्य में, राज्य सरकार ने सड़कों के विकास, उन्नयन तथा अनुरक्षण को प्रमुख अवसंरचना के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। यह औद्योगिकीकरण के अगले चरण, लॉजिस्टिक्स दक्षता, गतिशीलता तथा आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण में योगदान देगा। इसके साथ ही यह व्यापार तथा क्षेत्रीय एकीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा। राज्याधीन पथों के निर्माण एवं उन्नयन तथा उनके लिए आधुनिक, सतत् एवं दीर्घकालिक आउटपुट एवं परफॉर्मेंस आधारित सड़क अनुरक्षण संविदा (OPRMC) प्रणाली अपनाए जाने से सड़क की राइडिंग क्वालिटी, सड़क सुरक्षा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

चूँकि, बिहार सरकार संपर्कता में और अधिक सुधार, यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में वृद्धि तथा राज्य में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, प्रमुख पुलों, उपमार्गों, सुरंगों तथा नियंत्रित प्रवेश गलियारों सहित वृहद स्तर के अवसंरचना के व्यापक विकास का कार्य कर रही है एवं भविष्य में भी ऐसे कार्य किए जाने का आशय रखती है।

और चूँकि, ऐसी सड़क अवसंरचना के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

और चूँकि, आधुनिक दृष्टिकोण है कि सड़क उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तावाली सुरक्षित सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने एवं उसके अनुरक्षण हेतु सड़क उपयोग शुल्क का संग्रह किया जाए।

और चूँकि, लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन समझा गया है कि ऐसी अवसंरचना का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से टोल अथवा उपयोगकर्ता शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण हेतु एक पारदर्शी, एकरूप तथा

विधिक रूप से सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाए, जो इस सिद्धान्त पर आधारित हो कि उन्नत सुविधाओं से लाभान्वितों को इसके विकास, संचालन तथा अनुरक्षण में योगदान देना चाहिए।

और चूँकि, वित्तीय सततता, सेवा गुणवत्ता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, संरचित टोल व्यवस्था को अपनाया जायेगा जो कि सार्वजनिक— निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं पर भी लागू होगा।

और चूँकि, बिहार राज्य में टोल वसूली के संबंध में वर्तमान में बिहार टोल नियमावली, 1979 (यथा समय— समय पर संशोधित, वर्ष 1982 सहित) तथा उससे संबंधित लागू दिशा— निर्देशों एवं परियोजना— विशिष्ट व्यवस्थाओं के प्रावधान हैं, तथा समकालीन पद्धतियों एवं तकनीकी उन्नति के अनुरूप वर्तमान रूपरेखा का अद्यतन एवं पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, अतएव भारतीय टोल अधिनियम, 1851 यथा संशोधित भारतीय टोल (बिहार संशोधन) अधिनियम 1965 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार टोल नियमावली, 1979 (यथा संशोधित, 1982) का, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोपित किये गये मामलों के संबंध को छोड़कर अधिक्रमण करते हुए, राज्य सरकार के नियंत्रण एवं अधिकारिता के अधीन परियोजना सड़कों, राज्याधीन सड़कों, स्थायी पुलों, बाईपासों तथा सुरंगों के उपयोग हेतु शुल्क के संग्रहण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 अधिसूचित करती है।

बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।—

- (1) इन नियमों को "बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026" कहा जाएगा।
- (2) यह राज्य में सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) यह राज्य में इस नियमावली के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित एकरारनामों और सविदाओं और आमंत्रित निविदाओं पर लागू नहीं होंगे।
- (4) यह नियमावली के प्रकाशन से पूर्व लोकवित्त पोषित परियोजनाओं तथा निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजनाओं से संबंधित निष्पादित एकरारनामों, अनुबंधों तथा आमंत्रित निविदाओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :—

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—
 - (क) अधिनियम से अभिप्रेत है भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 यथासंशोधित भारतीय पथकर (बिहार संशोधित) अधिनियम, 1965;
 - (ख) आधार वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष 2026—27 जो उपयोगकर्ता शुल्क दर के प्रारंभिक निर्धारण के लिये संदर्भ वर्ष होगा;
 - (ग) निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना से अभिप्राय किसी परियोजना/राज्याधीन मार्ग के किसी खण्ड, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से संबंधित उस परियोजना से है जिसके लिए निर्माण हेतु वार्षिक अनुदान के भुगतान के लिये किसी रियायतग्राही के साथ एकरारनामा किया गया हो;
 - (घ) 'उपमार्ग' से किसी कसबा या नगर से होकर जाने वाला परियोजना/राज्य का कोई भाग अभिप्रेत है;
 - (ङ) 'रियायतग्राही' से अभिप्रेत है उस व्यक्ति, कंसोर्टियम, संयुक्त उपक्रम, विशेष प्रयोजन इकाई जिसके साथ बिहार सरकार द्वारा रियायत अनुबंध किया गया हो;
 - (च) 'संवृत उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अधीन परियोजना/राज्यमार्ग पर यांत्रिक वाहनों द्वारा तय की गई वास्तविक यात्रा की दूरी के आधार पर फीस उद्गृहीत की जाती है। परंतु यह और कि संवृत

- उपयोक्ता फीस संग्रहण प्रणाली के आधार पर शुल्क अधिरोपित किये गए परियोजना/राज्यमार्ग पर आवागमन के लिए कोई रियायत देय नहीं होगी;
- (छ) 'उत्थापित राजमार्ग' से परियोजना/राज्यमार्ग का ऐसा सेक्शन अभिप्रेत है जिसे पीयरो या स्तंभों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है;
- (ज) 'निष्पादन प्राधिकारी' से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार अथवा अधिकारी;
- (झ) 'एक्सप्रेस मार्ग' से तीव्र गति के यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुंच सहित विभाजित वहन मार्ग वाला परियोजना मार्ग/राज्यमार्ग अभिप्रेत है;
- (ञ) "फीस प्लाजा" से फीस संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भवन संरचना, अथवा बूथ से अभिप्रेत है;
- (ट) 'वित्तीय वर्ष' से किसी वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;
- (ठ) 'फास्टैग' से किसी ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रान्सपोंडर) अथवा वाहनों के सामने वाली विंड स्क्रीन पर लगी ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है", और
- (ड) 'फास्टैग टोल प्लाजा लेन फास्टैग अथवा ऐसी किसी युक्ति के साथ फिट वाहनों के संचालन के लिए टोल प्लाजा की एक अनन्य रूप से कोई लेन है'
- (ढ) 'प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट' का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित इंस्ट्रूमेंट है;
- (ण) इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना से उपस्कर का सेट जिसमें हार्डवेयर और सैफ्टवेयर समाविष्ट है, अभिप्रेत है जो उपयोगकर्ता फीस के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण को "ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट" या किसी ऐसी डिवाइस या आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉगनिशन डिवाइस या फास्टैग या उनके संयोजन के माध्यम से सुकर बनाएगा;
- (त) "ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट" से ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त वाहन में गैर-अंतरणीय और दृढ़ता से फिट की गई डिवाइस अभिप्रेत है;
- (थ) किसी वाहन के संबंध में 'सकल वाहन भार' से वाहन के कुल भार और मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन उस वाहन के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है;
- (द) 'लेन' से मुख्य वाहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर और पचास सेंटीमीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाली लेन अभिप्रेत है;
- (ध) 'यांत्रिक वाहन' से अपनी शक्ति के अधीन चलने वाला कोई वाहन अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत यथा परिभाषित मोटर वाहन भी है।
- (न) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (प) 'निजी निवेश परियोजना' से यथास्थिति परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल उपमार्ग या सुरंग से अभिप्रेत है जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई एकरारनामा किया गया है;
- (फ) 'लोक वित्त पोषित परियोजना' से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो उपर्युक्त खंड (प) में यथा परिभाषित निजी निवेश परियोजना नहीं है और इसके अंतर्गत ऐसी निजी निवेश परियोजना भी है, जिसके संबंध में एकरारनामा समाप्त हो गया है;
- (ब) पथ निर्माण विभाग से पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अभिप्रेत है;
- (भ) 'उपयोगकर्ता शुल्क' से अभिप्राय उस शुल्क से है जो परियोजना/राज्यमार्ग, पुल, उपमार्ग अथवा सुरंग के उपयोग हेतु सड़क उपयोगकर्ताओं से लिया जाता है;

- (म) 'असंदत्त उपयोगकर्ता फीस' से परियोजना/राज्यमार्ग कि किसी खंड के उपयोग के लिए मोटर वाहन द्वारा देय उपयोगकर्ता फीस से अभिप्रेत है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसरचना ने ऐसे वाहन के गुजरने को दर्ज (रिकॉर्ड) किया है, लेकिन इन नियमों के अधीन लगाए गए लागू उपयोगकर्ता फीस उदग्रहीत नहीं किया है;
- (य) 'राज्य सड़क' से अभिप्राय राज्य के स्वामित्व वाले राजमार्ग, सड़को एवं पुलों से है, जिसमें इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयुबी, उपमार्ग, सुरंग सम्मिलित है, जो किसी राज्य द्वारा वित्तपोषित परियोजना अथवा 'जमा कार्यों' के माध्यम से निर्मित किए गए हो, तथा इससे खनन क्षेत्रों के अन्तर्गत सड़कें भी सम्मिलित हैं किन्तु राष्ट्रीय राज्यमार्ग तथा/अथवा पुल इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयुबी, बाईपास, सुरंग जो किसी केन्द्रीय परियोजना के तहत निर्मित किये गए हो, इससे अपवर्जित किया गया है;
- (र) 'परियोजना मार्ग' से अभिप्राय निर्माण अथवा उन्नयन हेतु विचाराधीन मार्गों से है;
- (ल) 'खनन क्षेत्र' से अभिप्राय उन सभी क्षेत्रों से है जो माइन्स ऐक्ट 1952 के अन्तर्गत आते हैं, इसमें खनिजों की धुलाई, प्रसंस्करण, लदान, उतार एवं परिवहन के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त क्षेत्र भी सम्मिलित है चाहे वे किसी स्थानीय क्षेत्रों के भीतर स्थित हो अथवा नहीं, जैसे कि इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है;

3. उपयोगकर्ता फीस का उद्ग्रहण ।—

- (1) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार परियोजना/राज्यमार्ग के यथास्थिति, किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या परियोजना/राज्यमार्ग का भाग बनने वाली सुरंग के उपयोग के लिए फीस उदग्रहीत कर सकेगी।
परंतु पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग को ऐसी फीस या उसके भाग के उद्ग्रहण से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं छूट प्रदान कर सकेगी।
- (2) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन उदग्रही फीस का संग्रहण अधिसूचित तिथि अथवा लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के पूरा होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर प्रारंभ होगा।
- (3) निजी निवेश परियोजना की दशा में, नियम (3) के उप-नियम(1) के अधीन उदग्रही फीस का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) इन नियमों के नियम-3 में निहित किसी शर्त के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के अधीन देय उपयोगकर्ता के स्थान पर, राज्य सड़क अथवा उसके किसी खण्ड के उपयोग हेतु अथवा खनन क्षेत्रों में आवागमन करने वाले ऐसे समस्त यांत्रिक वाहनों, जो इन नियमों के अधीन उपयोगकर्ता शुल्क देय होने के लिए उत्तरदायी हो, के लिए एक निश्चित अवधि हेतु संयोजित उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान की योजना निर्धारित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन होगी, जैसे कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट अथवा विहित किया जाए।

ऐसे संयोजित उपयोगकर्ता शुल्क का अधिरोपण आवागमन (to and fro) के आधार पर किया जाएगा तथा उक्त उपयोगकर्ता शुल्क एकतरफा यात्रा हेतु अथवा ऐसे अन्य राशि के रूप में होगा, जैसे कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए एवं अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जो इस नियम के अधीन निर्धारित संयोजित उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह देय संयोजित उपयोगकर्ता शुल्क की राशि का 3 गुणा जुर्माने के रूप में जमा करेगा।

- (5) यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए दुपहिया, तिपहिया, ट्रेक्टरों, कंबाईन हार्वेस्टरो और पशु-चालित वाहनों के लिए कोई फीस उदग्रही नहीं की जाएगी।

परंतु तिपहिया, ट्रेक्टरों, कंबाईन हार्वेस्टरो और पशु-चालित वाहनों को, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जायगा जहां उक्त परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के स्थान पर कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है।

परंतु यह और कि जहां सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और किसी दुपहिया का स्वामी, चालक या उसका भारसाधन व्यक्ति यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग कर रहा है तो उससे कार पर उद्ग्रही फीस का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1— इस नियम के प्रयोजनों के लिए

- (क) 'वैकल्पिक सड़क' से ऐसी अन्य सड़क अभिप्रेत है जिसका वहन मार्ग 3.75 मीटर या उससे अधिक चौड़ा है और जिसकी लंबाई परियोजना/राज्यमार्ग के उस सेक्शन की तत्समान लंबाई के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- (ख) 'सर्विस सड़क' से परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन के समानांतर चलने वाली सड़क अभिप्रेत है जो परियोजना/राज्यमार्ग के उस सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुंच प्रदान करती है।
- (6) इन नियमों के अधीन बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस को निकटतम पाँच रूपए के गुणांक में पूर्णकित और उद्ग्रहीत किया जाएगा।

4 फीस की आधार दर।—

- (1) कंडिका-3(1) में दिये गये प्रावधान के अधीन, लोक वित्त पोषित परियोजना या निजी निवेश परियोजना द्वारा निर्मित परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस की दर समान होगी।
- (2) आधार वर्ष 2026-2027 के लिए चार या अधिक लेनों वाले परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर ऐसे सेक्शन की लंबाई को निम्नलिखित दरों से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगी अर्थात :-

वाहन का प्रकार	फीस की प्रति किमी० आधार दर (रूपए में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	1.25
हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	2.00
बस या ट्रक (दो धुरी)	4.25
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	4.60
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन (चार से छः धुरी)	6.65
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	8.10

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए

- (क) 'कार' या 'जीप' या 'वैन' या 'हल्का मोटर वाहन' से यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत यात्री वहन क्षमता चालक को छोड़कर बारह से अधिक नहीं है।
- (ख) 'हल्का वाणिज्यिक वाहन' या 'हल्का माल वाहन' या 'मिनी बस' से सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक किंतु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किंतु बत्तीस से कम यात्री वहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है।

- (ग) 'ट्रक या बस' से बारह हजार किलोग्राम से अधिक किंतु बीस हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथाविनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है।
- (घ) 'भारी निर्माण मशीनरी' या 'अर्थमूविंग उपस्कर' या 'बहुधुरीय वाहन' से भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या चार से छह धुरी वाले बहुधुरीय वाहन सहित पचीस हजार किलोग्राम से अधिक किंतु साठ हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाला वाहन अभिप्रेत है।
- (ङ) 'विशाल आकार के वाहन' सात या अधिक धुरियों वाला यांत्रिक वाहन या ऐसा वाहन अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है।
- (च) तीन धुरी वाले वाहन से तीन धुरी वाले किसी यांत्रिक वाहन (ट्रेलर की धुरी सहित, यदि कोई हो) से अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार पच्चीस हजार किलोग्राम से कम या बराबर है।
- (3) ऐसी परियोजना/राज्य सड़क के किसी खण्ड के उपयोग हेतु शुल्क का दर, जिसकी वहन क्षमता 2 लेन या उससे अधिक हो किन्तु 4 लेन से कम हो, नियम 4 के उप नियम, (2) में निर्दिष्ट शुल्क की दर का 60 प्रतिशत दर होगा।
- (4) ऐसी परियोजना/राज्य सड़क के किसी खण्ड के उपयोग हेतु शुल्क का दर, जिसकी वहन क्षमता मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर) की हो, नियम 4 के उप नियम, (2) में निर्दिष्ट शुल्क की दर का 50 प्रतिशत दर होगा।
- (5) किसी परियोजना/राज्य मार्ग के किसी खंड, जो कि एक उपमार्ग है, के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क नियम-4 के उप नियम-2 के अनुरूप होगा।

परन्तु यह कि किसी परियोजना/राज्य मार्ग के किसी ऐसे खण्ड के लिए, जिसका भाग उक्त उपमार्ग हो, शुल्क की गणना करते समय उक्त बाईपास की लंबाई को ही शुल्क अधिरोपण का आधार माना जायेगा।

- (6) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(क) सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से निर्मित बाईपास या सुरंग से युक्त किसी परियोजना/राज्यमार्ग के खंड के उपयोग हेतु शुल्क की दर, उप-नियम (2), (3) एवं (4) में उपबंधित दर के समान होगी तथा नियम-5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी तथा,

(ख) सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से निर्मित स्थायी पुल के उपयोग हेतु शुल्क की दर, इन नियमों के प्रारंभ पर यथावत रहेगी तथा नियम-5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी।

परन्तु यदि, परियोजना/राज्य सड़क अथवा पुल के किसी खंड को लेन उन्नयन हेतु लिया गया हो या नहीं, इसके बावजूद, ऐसी परियोजना/राज्य सड़क, स्थायी पुल, उपमार्ग जो लोक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के अन्तर्गत निर्मित की गई हो तथा नियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान हो, शुल्क की दर नियमों के प्रारंभ के पश्चात् उस तिथि को लागू शुल्क दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक से नहीं बढ़ाई जायेगी तथा इसके उपरान्त होने वाली वार्षिक वृद्धि किसी भी स्थिति में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में लागू दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि चार-लेन राजमार्ग के किसी खण्ड के मामले में, जिसको छः-लेन में लेन उन्नयन हेतु लिया गया है, शुल्क में वृद्धि उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर के पचहत्तर प्रतिशत तक सीमित होगी और इसे नियम 5 के अधीन पुनरीक्षण, ऐसे कार्य के प्रारंभ और लेन उन्नयन से संबंधित कार्य के लिए रियायतग्राही

से हुए एकरारनामा में निर्दिष्ट कार्य पूर्णता तिथि तक, जिसमें वार्षिक पुनरीक्षण देय नहीं होगा, किया जायेगा।

परन्तु रियायतग्राही के साथ एकरारनामा में निर्धारित पूर्णता तिथि एवं वास्तविक पूर्णता तिथि के बीच विलम्ब के लिए उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के उद्देश्यों के लिए, परियोजना की पूर्णता की वास्तविक तिथि के साथ विलंबित अवधि के दौरान कोई अस्थायी पूर्णता का उपबंध, परियोजना की पूर्णता के रूप में नहीं माना जाएगा।

- (7) निजी निवेश परियोजनाओं के मामले में, फीस की दर नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दर होगी अथवा ऐसी निम्न दर होगी जिसका अवधारण रियायतग्राही, सभी अथवा किसी श्रेणी के वाहन को विनिर्दिष्ट करते हुए उपभोक्ताओं को लोक सूचना देकर करेगा।
- (8) 4-लेन राजमार्गों के किसी खंड के लिए फीस की दर, 6 लेन में उन्नयन किए जाने के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरो का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2026 के अनुसार निर्धारित शुल्क का 75%, कार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से ही, किसी वार्षिक पुनरीक्षण के बिना, परियोजना पूरी किए जाने की तारीख तक होगी।

परन्तु रियायतग्राही के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार परियोजना कार्य पूरा किए जाने की तारीख और परियोजना पूरी होने की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में विलंब के लिए कोई पथ उपयोगकर्ता शुल्क उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी परियोजना को अनंतिम रूप से पूरी किए जाने को यह नहीं माना जाएगा कि परियोजना पूरी हो गई है।

- (9) पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन, परन्तु चार लेन से कम वाले राजमार्ग के किसी खंड पर शुल्क की दर, चार या अधिक लेन में उन्नयन से संबंधित कार्य प्रारंभ होने और परियोजना के पूरा होने तक, बिना किसी वार्षिक पुनरीक्षण के उप- नियम (2) के अधीन यथा निर्दिष्ट शुल्क का तीस प्रतिशत होगा।
- (10) संरचना या संरचनाओं से युक्त परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना या संरचनाओं की लंबाई के सिवाय परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की लंबाई का दस गुना जोड़कर या परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "संरचना" से कोई स्वतंत्र पुल, सुरंग या पलाईओवर या उत्थापित परियोजना/ राज्यमार्ग से अभिप्रेत है।

उदाहरण (1)

यदि किसी परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 10 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 30 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी :—

10×30 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 10 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 310 किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात $5 \times 40 = 200$ किलोमीटर

उपयोगकर्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (ii)

यदि परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 10 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

10×10 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 30 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 130 किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पाँच गुना $= 5 \times 40 = 200$ किलोमीटर

उपयोगकर्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात् 130 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (iii)

यदि परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें केवल संरचना सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

10×40 (अर्थात् संरचना की लंबाई का दस गुना) $= 400$ किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई का पाँच गुना $=$ अर्थात् $5 \times 40 = 200$ किलोमीटर

उपयोगकर्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात् 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

परंतु यह फीस की गणना परियोजना/राज्यमार्ग के भाग के रूप में किसी संरचना या संरचनाओं पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी संरचना की लंबाई साठ मीटर या उससे कम है और इसे परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन की सामान्य लंबाई के भाग के रूप में माना जाएगा।

- (11) परन्तु यह कि किसी रेखीय राजमार्ग, या एक्सप्रेस मार्ग (Expressway) पर स्थित 60 मीटर अथवा उससे कम लंबाई की संरचना को शुल्क की गणना के प्रायोजनार्थ राजमार्ग की सामान्य लंबाई का भाग माना जायेगा।

5. फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण।—

- (1) नियम 4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल 2027 से प्रशमन के बिना प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी और बढ़ाई गई ऐसी दर आगामी वर्षों के लिए आधार दर समझी जाएगी।
- (2) लागू आधार दरें 3 जनवरी, 2026 को समाप्त (अर्थात् 157.2) और उस वर्ष की 1 जनवरी जिसमें ऐसा संशोधन किया जा रहा है, को या उसके ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह के बीच थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएगी किंतु ऐसा पुनरीक्षण थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि के चालीस प्रतिशत तक सीमित होगा।
- (3) फीस की लागू दर अवधारित करने का सूत्र निम्नलिखित होगा।

$$\text{फीस की लागू दर} = \text{आधार दर} + \text{आधार दर} \times ((\text{थोक कीमत सूचकांक क} - \text{थोक सूचकांक ख}) / \text{थोक कीमत सूचकांक ख}) \times 0.4$$

स्पष्टीकरण— इस उप नियम के प्रयोजनाओं के लिए

- (क) फीस की लागू दर उपयोगकर्ता द्वारा संदेय दर होगी।
 - (ख) आधार दर, नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 4 में विनिर्दिष्ट दर होगी।
 - (ग) थोक कीमत सूचकांक 'क' से इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है; और
 - (घ) थोक कीमत सूचकांक 'ख' से 3 जनवरी, 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अर्थात् (157.2) अभिप्रेत है।
- (4) इस नियम के अंतर्गत शुल्क दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।

6. फीस का संग्रहण।—

- (1) इन नियमों के अधीन उद्ग्रहित फीस पथकर प्लाजा पर यथास्थिति बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहित की जाएगी।
- (2) प्रत्येक यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।
- (3) इन नियमों के अधीन फीस का भुगतान नगद अथवा प्री-पेड भुगतान साधनों, स्मार्ट कार्ड अथवा ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) के माध्यम से देय होगा।
परंतु यह और कि नियम 9 के उपनियम (2),(3) एवं उपनियम 3(क) के अधीन रियायत के मद्दे संदेय फीस का संदाय स्मार्ट कार्ड के माध्यम से या फास्टैग या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति के माध्यम से किया जाएगा।

परंतु यह और कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त वाहन के लिए अनन्य लेन चिह्नित की जा सकेगी और यदि ऐसी लेन में कोई वाहन विधिमान्य ऑनबोर्ड यूनिट के बिना प्रवेश करता है, तो उस फीस प्लाजा पर लागू उपयोगिता फीस के दो गुना के समतुल्य फीस संदत्त करेगा।

- (3क) यदि किसी वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोगकर्ता फीस का दोगुना संदत्त करेगा।

परन्तु यह कि यदि वाहन का उपयोगकर्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोगकर्ता फीसका 1.25 गुना भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण :-

यदि नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार किसी विशेष श्रेणी के वाहन के लिए उपयोगकर्ता फीस एक सौ रुपये है यदि वह वाहन, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उस वाहन का उपयोक्ता, उपयोगकर्ता फीस का दो गुना (अर्थात् दो सौ रुपये नगद) का भुगतान करेगा और यदि उस वाहन का उपयोक्ता एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह 1.25 गुना (अर्थात् केवल एक सौ पचास रुपये मात्र) का भुगतान करेगा।

- (3ख) उप-नियम (3क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग वाले वाहन का उपयोक्ता, जिसके लिंक किए गए खाते में पर्याप्त राशि है, फीस प्लाजा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना की खराबी के कारण फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता फीस का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस वाहन उपयोक्ता को बिना किसी उपयोगकर्ता फीस के फीस प्लाजा पार करने की अनुमति होगी और उस लेनदेन के लिए शून्य लेनदेन रसीद जारी की जाएगी।
- (4) यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो फीस के संदाय के लिए ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति की संस्थापन का चयन करता है, ऐसी संस्थापना के लिए, यथास्थिति, बिहार सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास उपस्कर की लागत के समतुल्य प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप करेगा और ऐसे प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज संचित नहीं होगा।
- (5) बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यथास्थिति, उप नियम (3क) और नियम 10 के अधीन फीस प्राप्त करते समय, वाहन उपयोक्ता को एक रसीद जारी करेगा, जिसमें फीस प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और उस वाहन की श्रेणी विनिर्दिष्ट होगी जिसके लिए फीस प्राप्त किया गया है।
- (6)(क) फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी और रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा।

- (ख) रियायत एकरारनामा के अनुसार यथा अधिसूचित फीस, रियायत अवधि के अंत तक आरोपणीय होगी और रियायत एकरारनामा के पूरा होने के पश्चात, यथास्थिति, परियोजना/ राज्यमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली फीस नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस के अनुसार राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा संग्रहीत की जाएगी।

परंतु लोक वित्तपोषित परियोजना के संबंध में, यथास्थिति, परियोजना/ राज्यमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के लिए इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप संशोधित की गई उदग्राह्य फीस का शाश्वतता में संग्रहीत होना जारी रहेगा।

- (7) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से या किसी ठेकेदार के माध्यम से किया जाएगा।

6A इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण एवं फास्टैग का अनुपालन।—

- (1) **अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण।**—यह नियमों के अधीन उपयोगकर्ता शुल्क (User Fee) का संग्रह, जहाँ तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (Electronic Toll Collection System) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें फास्टैग या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रौद्योगिकी सम्मिलित है जो बिहार सरकार द्वारा स्वीकार्य हो।
- (2) **फास्टैग का अनिवार्य उपयोग।**—राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट श्रेणियों के वाहनों अथवा अन्य अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर, परियोजना मार्ग, सेतु, उपमार्ग या सुरंग के टोलिंग खंड से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन के अग्रभाग पर वैध एवं क्रियाशील फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।
- (3) **फास्टैग सक्षम अवसंरचना।**—कार्यान्वयन प्राधिकारी अथवा रियायतग्राही, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि कंप्लायंट लेन, टोल प्लाजा उपकरण, कैमरा, बैंक एंड सिस्टम एवं कनेक्टिविटी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध हों। यह व्यवस्था राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण नीति तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/ इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (IHMCL) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (4) **गैर फास्टैग वाहनों पर उच्चतर उपयोगकर्ता शुल्क।**—वैध फास्टैग के बिना, अथवा ऐसे फास्टैग के साथ जो ब्लैकलिस्टेड, निष्क्रिय या अपठनीय हो गया हो, यदि ऐसी स्थिति उपयोगकर्ता जनित है, ऐसे वाहनों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग नीति के अनुरूप निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क देय होगा।
- (5) **उपयोगकर्ता के चूक के कारण कोई छुट नहीं।**—फास्टैग खाते में अपर्याप्त शेष राशि, अनुचित संलग्न, छेड़छाड़ या उपयोगकर्ता की लापरवाही के कारण यदि ट्रान्जैक्शन असफल होता है, तो उसे प्रणाली की असफलता नहीं माना जाएगा। ऐसे वाहन पर लागू उच्चतर उपयोगकर्ता शुल्क देय होगा।
- (6) **गलत लेन का उपयोग।**—फास्टैग युक्त कोई भी वाहन यदि गैर-निर्धारित लेन, नकद लेन या प्रतिबंधित लेन में प्रवेश करता है या उससे होकर गुजरता है, तो इसे प्रदर्शित निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे वाहन प्रयोक्ता पर लागू दर का दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेगा, इसके अलावा अन्य विहित कार्रवाई भी होगी।
- (7) **फास्टैग का दुरुपयोग या छेड़छाड़।**—फास्टैग के साथ किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, छेड़छाड़, क्लोनिंग, अनधिकृत उपयोग, अवैध उपयोग अथवा एक वाहन के लिए जारी फास्टैग का किसी अन्य वाहन में उपयोग, दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा और इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप—
 - (क) अंतर राशि अथवा दंडात्मक उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली की जाएगी।
 - (ख) संबंधित वाहन के फास्टैग को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, तथा
 - (ग) लागू विधि के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

- (8) **कालीकरण एवं प्रवेश में वर्जित करना।**—इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण से संबंधित बार-बार उल्लंघन जिसमें चोरी, दुरुपयोग एवं भुगतान ना करना शामिल है, फलस्वरूप वाहन के फास्टैग को कालीकृत किया जा सकता है तथा ऐसे वाहन को बकाया राशि अथवा दंड राशि के पूर्ण भुगतान तक प्रवेश मार्ग से प्रवेश वर्जित किया जायेगा।
- (9) **वार्षिक एवं दीर्घकालीन फास्टैग पास।**—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट वाहन वर्गों हेतु वार्षिक या दीर्घकालीन फास्टैग आधारित पास की व्यवस्था लागू कर सकेगी, जिसकी वैधता, दरें एवं पात्रता मानदंड राष्ट्रीय नीति के अनुरूप निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (10) **प्रणाली की विफलता अथवा नेटवर्क आउटटेज।**—प्रणाली विफलता, नेटवर्क आउटटेज अथवा उपयोगकर्ता को आबद्ध नहीं होने वाली तकनीकी खराबी की स्थिति में कार्यान्वयन प्राधिकार अथवा रियायतग्राही द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फौलबैक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा जिससे उपयोगकर्ता को न्यूनतम असुविधा हो एवं राजस्व क्षरण पर रोक लगायी जा सके।

7 फीस का प्रेषण और विनियोजन।—

- (1) कार्यकारी एजेंसी, एकरारनामा के अनुबंधों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर, संग्रहित शुल्क/ एकरारनामा के अनुसार देय राशि को निष्पादन प्राधिकारी के नामित खाते में जमा करेगा।
- (2) लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के स्थिति में इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निष्पादन प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा संग्रहित राशि को, पथ निर्माण विभाग के निदेशानुसार पूर्णतः अथवा उसके भाग को ऋण के पुर्नभुगतान हेतु पृथक खाते में जमा किया जायेगा। शेष राशि बचे रहने के स्थिति में, राशि को बिहार सरकार के बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार समेकित निधि में जमा किया जायेगा।
परंतु यह और कि निजी निवेश परियोजनाओं में इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहित फीस रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए विनियोजित की जाएगी।
- (3) राज्य सरकार निष्पादन प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्ययों को अलग से अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित करेगी। इसके लिए पृथक बजटीय प्रावधान किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन विशेष एवं नामित व्यय शीर्ष के माध्यम से किया जायेगा।

8. पथकर प्लाजा का अवस्थापन।—

- (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पथकर प्लाजा स्थापित करेगा।
परंतु निष्पादन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर किंतु किसी भी स्थिति में ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से पांच किलोमीटर के भीतर नहीं, पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या पथकर प्लाजा स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञात कर सकेगा।
परंतु यह और कि यदि, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का निर्माण मुख्यतः ऐसी नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों के उपयोग के लिए नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से पाँच किलोमीटर के भीतर किया जाता है वहां पथकर प्लाजा, नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा।
- (2) परियोजना/राज्यमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा।
परंतु जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने के लिए रियायतग्राही के अनुज्ञात कर सकेगा।

परंतु यह और कि ऐसा पथकर प्लाजा दूसरे पथकर प्लाजा से चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा, यदि ऐसा पथकर प्लाजा स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस के संग्रहण के लिए है।

- (3) उप-नियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ परियोजना/ राज्य सड़क पर बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली प्रचलित हो, वहाँ निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही द्वारा फीस प्लाजा स्थापित किया जा सकेगा।

9. रियायत।—

- (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, अनुरोध किए जाने पर नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पथकर प्लाजा पार करने के लिए बहु-यात्राओं हेतु पास प्रदान कर सकेगा।
- (2) यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करता है, ऐसे पास का चयन कर सकता है तथा उसे निम्नलिखित दरों के अनुसार फीस का संदाय करना होगा अर्थात :-

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- (3) ऐसा कोई व्यक्ति जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत यांत्रिक वाहन का स्वामी है और उस प्रकार उसका उपयोग परियोजना/ राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग पर यात्रा करने के लिए करता है, आधार वर्ष 2026-27 के लिए प्रति कैलेंडर मास दो सौ नब्बे रूपए और नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से पुनरीक्षित आधार दर पर फीस के संदाय पर ऐसे पास में विनिर्दिष्ट पथकर प्लाजा पार करने के लिए उसे अधिकृत करने वाला पास प्राप्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि, ऐसी कोई रियायत किसी अन्य राज्य सड़क, एकल पुल, अन्य संरचना अथवा सड़क के किसी अन्य खंड के फीस प्लाजा के लिए विस्तारित नहीं की जायेगी।

- (4) कोई व्यक्ति, जो गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन का मालिक है, जिसके पास वैध और कार्यात्मक फॉस्टैग है, वह दो हजार पाँच सौ पचास रुपये का भुगतान करके पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बिहार सरकार के स्वामित्व वाले परियोजना/ राज्यमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर यह पास एक वर्ष के लिए या अधिकतम दो सौ बार गुजरने (क्रॉसिंग) के लिए, जो भी पहले हो, वैध होगा फिर भले ही प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर कितना भी शुल्क लगता हो। इस शुल्क को कंडिका-5 के अनुसार वार्षिक पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (5) ऐसे यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को कोई पास जारी नहीं किया जाएगा या उससे फीस संग्रहित नहीं की जाएगी जो परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन के भाग का उपयोग करता है और पथकर प्लाजा को पार नहीं करता है।

10. अतिभराई के लिए फीस की दर।—

- (1) किसी यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या व्यक्ति के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ परियोजना/ राज्यमार्ग का उपयोग करने वाला कोई यांत्रिक वाहन अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से अधिक लदान किया हुआ पाया जाता है, तो अधिक भार ब्योरे के साथ ऐसे वाहन का ब्यौरा राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर (वाहन) पर ज्ञापित किया जाएगा।
- (2) सरकार द्वारा यथा अधिसूचित और फीस प्लाजा पर संस्थापित किसी उपयुक्त भार मापन युक्ति के माध्यम से यांत्रिक वाहन के लदानरहित भार और उस पर लादे गए भार के कुल

योग की पहचान की जाएगी और यह सकल वाहन भार कटौती के पश्चात अतिरिक्त भार, यदि कोई हो, का अवधारण करने के लिए आधार होगा।

परंतु जहां फीस प्लाजा पर भार मापने वाला ऐसी कोई युक्ति संस्थापित नहीं की गयी है, वहां अतिभराई के लिए कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यथास्थिति, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे वाहन हेतु लागू फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- (3) यथास्थिति, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति परियोजना/ राज्यमार्ग का उपयोग करते समय अतिभारित वाहन के लिए फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो डिजिटल संदाय साधनों जिसके अंतर्गत फास्टैग या एकल भुगतान प्रणाली (युपीआई) या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए एवं राज्य सरकार को स्वीकार्य हो, नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर संग्रहित की जाएगी—

सारणी

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अतिरिक्त भार की प्रतिशत	फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
10 प्रतिशत तक	कोई अतिभार फीस नहीं	(नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन के ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू फीस) x (गुणक कारक)
10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत तक	2	
40 प्रतिशत से अधिक	4	

उदाहरण :

- (क) यदि किसी तीन-अक्षीय रिजिड ट्रक के लिए अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) 28.5 टन है, तो उसका 110 प्रतिशत (अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से 10 प्रतिशत अधिक) 31.35 टन तथा 140 प्रतिशत (अर्थात् अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से 40 प्रतिशत अधिक) 39.90 टन होगा। 31.35 टन तक किसी प्रकार की अतिभार फीस उद्गृहीत नहीं होगी और 31.35 टन से अधिक भार के लिए उक्त ट्रक के लिए अतिभार फीस की गणना नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट की जाएगी—

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार (मीट्रिक टन में)	फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
31.35 टन तक	कोई अतिभार फीस नहीं	(नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन का ऐसा प्रवर्ग के लिए लागू फीस) x (गुणक कारक)
31.35 से 39.90 टन तक	2	
39.90 टन से अधिक	4	

- (4) यदि ऐसा वाहन बिना फास्टैग या विधिमान्य, कार्यात्मक फास्टैग के परियोजना/ राज्यमार्ग में प्रवेश करता है, तो उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार फीस दरों की गणना के लिए नियम 6 के उपनियम 3 के उपबंध भी लागू होंगे।

- (5) इस नियम के उपबंध इस नियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित निजीनिवेश परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जब तक कि रियायतग्राही किसी प्रतिकर की मांग के बिना इस उपबंध द्वारा शासित होने के लिए स्पष्ट सहमति व्यक्त न करें।

11. फीस के संदाय से छुट—

- (1) ऐसे यांत्रिक वाहन से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी।
- (क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं—
- (i) भारत के राष्ट्रपति
 - (ii) भारत के उपराष्ट्रपति
 - (iii) भारत के प्रधान मंत्री
 - (iv) राज्य के राज्यपाल
 - (v) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
 - (vi) लोक सभा अध्यक्ष
 - (vii) संघीय मंत्रीमंडल के मंत्री
 - (viii) राज्य के मुख्यमंत्री
 - (ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति
 - (x) संघ के राज्यमंत्री
 - (xi) संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल
 - (xii) सेनाध्यक्ष जो पूर्ण जनरल अथवा समकक्ष रैंक पर हो
 - (xiii) राज्य विधान परिषद के सभापति
 - (xiv) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष
 - (xv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
 - (xvi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 - (xvii) राज्य के महाधिवक्ता
 - (xviii) संसद सदस्य
 - (xix) आर्मी कमांडर अथवा उप-सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेनाओं में समकक्ष रैंकधारी
 - (xx) राज्य में संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव
 - (xxi) सचिव, भारत सरकार
 - (xxii) सचिव, राज्य सभा
 - (xxiii) सचिव, लोक सभा
 - (xxiv) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति
 - (xxv) राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं।
 - (xxvi) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो-युक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं।

स्पष्टीकरण— इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, “सुरक्षा वाहन” से अभिप्रेत ऐसा वाहन है जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों या राज्य पुलिस की सुरक्षा कर्मी यात्रा कर रहे हों।

- (ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है—
- (i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना को भी विस्तारित किए गए हैं के अनुसार छुट के लिए पात्र है।

- (ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल
- (iii) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट
- (iv) अग्नि शमन विभाग या संगठन
- (v) परियोजना/राज्यमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जो ऐसे वाहन का प्रयोग निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है।
- (ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन
- (घ) शववाहन के रूप में प्रयुक्त वाहन
- (ङ) किसी प्रकार की शारीरिक असमर्थता अथवा कमी से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहन या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बने नियमों के अधीन "दिव्यांगजन" प्रकार के स्वामित्व के रूप में रजिस्ट्रीकृत।
- (च) ऐसे शासकीय यांत्रिक वाहन जो बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों को ले जा रहा हो।

12. सूचना का संप्रदर्शन।—

- (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यांत्रिक वाहन से प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के एक-एक समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन है, प्रकाशित करेगा।
- (2) निष्पादन प्राधिकारी पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर एवं पाँच सौ मीटर पहले हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में सहज रूप से निम्नलिखित को संप्रदर्शित करेगा:
 - (i) प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए संदेय फीस की रकम और नियम 9 के अधीन उपलब्ध रियायतें
 - (ii) फीस के संदाय से छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग और
 - (iii) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का नाम, पता और फोन या संपर्क नंबर।
- (3) संप्रदर्शन बोर्डों की ऊँचाई, उनकी गुणवत्ता और अक्षरों का आकार नवीनतम भारतीय सड़क काँग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा एवं उपयोगकर्ताओं के लिए सहज रूप से दृष्टव्य और पठनीय होगा।

13. अनाधिकृत संग्रहण।—

- (1) यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहित अधिक फीस, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और संग्रहित अधिक फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि के साथ ऐसे प्राधिकारी या रियायतग्राही से उसकी वसूली कर सकेगा।
परंतु ऐसी अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जायेगी जब तक यथास्थिति, निष्पादन पदाधिकारी या रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।
- (2) फीस के अप्राधिकृत संग्रहण से व्यथित यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इस निमित्त, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उस शिकायत पर तीस दिन के भीतर अधिक संदाय के प्रतिदाय और ऐसे उपयोगकर्ता को हुई असुविधा हेतु नुकसानियों के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

14. फीस का संदाय करने में असफलता।—

- (1) यदि यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, परियोजना/राज्यमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस का संदाय नहीं करता है या संदाय करने से इंकार करता है तो उसके वाहन को परियोजना/राज्यमार्ग के ऐसे सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा वाहन यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधा पहुंचाता है तो, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही ऐसे बाधक वाहन को, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से हटवा सकेगा।

- (2) जहां, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संदाय करने से इंकार करेगा या उसमें असफल रहेगा तो उसकी वसूली यांत्रिक वाहन के रजिस्ट्रीकृत स्वामी से की जाएगी।
- (2क) उप-नियम (2) को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यांत्रिक वाहन के स्वामी से असंदत्त उपयोगकर्ता फीस निम्नलिखित तरीके से वसूल की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) वाहन का विवरण, घटना की तिथि और स्थान तथा देय उपयोगकर्ता फीस की राशि निर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सूचना (जिसे इसके पश्चात "ई-नोटिस" कहा जाएगा) राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (वाहन) में उपलब्ध वाहन के स्वामी के नाम पर जारी की जाएगी।
- (ख) ई-नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जा सकता है, जिसमें लघु संदेश सेवा (एसएमएस), इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल), मोबाईल आधारित संदेश एप्लीकेशन या बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं और इसे भौतिक रूप में भी भेजा जा सकता है।
- (ग) इस उद्देश्य के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा।
- (घ) बिहार सरकार या उसका कार्यकारी प्राधिकारी, प्रवर्तन उपायों और ऐसी असंदत्त उपयोगकर्ता फीस की वसूली के प्रयोजनों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (वाहन) के साथ तकनीकी और प्रणालीगत एकीकरण कर सकता है।
- (2ख) उप-नियम (2क) के अधीन जारी ई-नोटिस के अनुसरण में देय असंदत्त उपयोगकर्ता फीस, नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट वाहन की संबंधित श्रेणी पर लागू उपयोगकर्ता फीस के दोगुने के बराबर राशि होगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए भुगतान के अन्य माध्यम से किया जाएगा।
- परंतु जहां ई-नोटिस जारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर असंदत्त उपयोगकर्ता फीस का भुगतान किया जाता है, तो देय राशि संबंधित वाहन श्रेणी पर लागू उपयोगकर्ता फीस तक सीमित होगी, जैसा कि नियम 4 के उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट है।
- (2ग) किसी ई-नोटिस से व्यथित किसी यांत्रिक वाहन का कोई स्वामी या चालक, उसके जारी होने के समय से बहत्तर (72) घंटों के भीतर, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- (2घ) जहां उप-नियम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, वहाँ निष्पादन प्राधिकार या रियायतग्राही, जैसा भी मामला हो, ऐसे अभ्यावेदन की जाँच करेगा और उसका निपटारा करेगा तथा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रीकृत स्वामी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।
- परंतु यदि अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन की समाप्ति पर उसका निपटान नहीं किया जाता है, तो निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का असंदत्त उपयोगकर्ता फीस का दावा समाप्त हो जाएगा।
- (2ड.) यदि किसी यांत्रिक वाहन का स्वामी या चालक ई-नोटिस जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर असंदत्त उपयोगकर्ता फीस का भुगतान करने में विफल रहता है और उपनियम-2ग के अधीन कोई अभ्यावेदन लंबित नहीं है, तो उप-नियम 2ख के अधीन वाहन स्वामी से वसूल किया जाने वाली असंदत्त उपयोगकर्ता फीस की राशि राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (VAHAN) में दर्ज की जाएगी, और असंदत्त उपयोगकर्ता फीस का भुगतान होने तक राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (VAHAN) के माध्यम से ऐसे वाहन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।
- (3) जहां यथास्थिति, बिहार सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई यांत्रिक वाहन देय फीस का संदाय किए बिना परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग में चल रहा है तो वहां उसके संदाय का सत्यापन करने

के प्रयोजन के लिए उस वाहन को रोक सकेगा और ऐसे वाहन से बकाया फीस की वसूली कर सकेगा।

15. **अभिलेखों का सत्यापन करने की बिहार सरकार की शक्ति।**—यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस के संग्रहण का सत्यापन करने तथा यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के किसी दस्तावेज, अभिलेखों, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

16. **निजी निवेश परियोजना के संबंध में फीस का संग्रहण।**—

- (1) नियम 3 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, रियायतग्राही द्वारा उसके एकरारनामा के प्रवृत्त रहने तक किया जाएगा।
- (2) नियम-3 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट एकरारनामा की समाप्ति की तारीख से ही उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

17. **अतिरिक्त अवरोधक के संस्थापन का वर्जन।**—पथकर प्लाजा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई अवरोधक, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के सिवाए संस्थापित नहीं किया जाएगा जो यह समाधान होने के पश्चात् कि फीस का अपवंचन हुआ है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह अधिरोपित करे, फीस के अपवंचन को रोकने के लिए पथकर प्लाजा से दस किलोमीटर के भीतर, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा ऐसे अतिरिक्त अवरोधक की संस्थापना किए जाने की अनुमति दे सकेगा:

परंतु यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी किसी भी समय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति को वापस ले सकेगा।

परंतु यह और कि जहाँ यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी, रियायतग्राही द्वारा अतिरिक्त अवरोधक की स्थापना किए जाने की अनुमति नहीं देता है, वहां इस प्रकार इंकार किए जाने के कारणों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर रियायतग्राही को संसूचित किया जाएगा।

18. **लेखा परीक्षा, लेखा एवं राजस्व प्रबंधन।**—

- (1) कार्यान्वयन/ निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही, जैसा भी मसला हो, उपयोगकर्ता शुल्क के अधिरोपण, संग्रहण, प्रेषण तथा उपयोग से संबंधित उचित लेखा पुस्तकें, अभिलेख एवं दस्तावेज उस प्रारूप एवं रीति से संधारित करेगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) समस्त उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का दैनिक आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा रियायत एकरारनामा की शर्तों अथवा कार्यान्वयन प्राधिकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जमा अथवा प्रेषित किया जाएगा।
- (3) उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह से संबंधित खाते निम्नलिखित के अधीन होंगे :—
 - (क) कार्यान्वयन/ निष्पादन प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा,
 - (ख) लागू विधि के अनुसार नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वैधानिक लेखा-परीक्षा,
 - (ग) राज्य सरकार अथवा जहां लागू हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्देशित विशेष लेखा- परीक्षा अथवा निरीक्षण।
- (4) कार्यान्वयन/निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही लेखा-परीक्षण प्राधिकरण को टोल लेन-देन आंकड़ों, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अभिलेखों, बैंक विवरणों, मिलान विवरणों तथा सहायक दस्तावेजों का पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा।
- (5) लेखा-परीक्षा के दौरान पाई गई किसी भी न्यूनता, अधिशेष संग्रहण, राजस्व का नुकसान अथवा अनियमितता की स्थिति में, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, यथास्थिति, उसकी वसूली अथवा सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी, तथा यह इस नियमावली या रियायत अनुबंध के अधीन दण्ड अधिरोपित किये जाने अथवा किसी अन्य कार्यवाई किये जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- (6) राज्य सरकार टोल परिचालन में पारदर्शिता एवं जबाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राजस्व प्रबन्धन, मिलान, प्रतिवेदन प्रारूपों तथा समय सीमाओं के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

19. प्रौद्योगिकी रूपरेखा एवं फास्टैग अनुपालन।—

- (1) इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह हेतु समर्पित लेन उपलब्ध कराई जाएगी तथा अंतर-प्रचालनीयता, आंकड़ों की शुद्धता एवं वास्तविक समय में लेन-देन प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।
- (2) विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी मानकों अथवा फास्टैग आवश्यकताओं के निरंतर अथवा जानबूझकर किए गए अनुपालनहीनता को एक मौलिक उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप, टोल संग्रह अधिकारों का निलंबन, रियायत एकरारनामा अथवा इस नियमावली के अधीन उपबंधित अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।

20. शिथिलीकरण की शक्ति।—

- (1) राज्य सरकार, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि इस नियमावली अथवा इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा यह लोकहित में नहीं है तो अभिलिखित कारणयुक्त आदेश द्वारा किसी परियोजना के वर्ग, सड़क, वाहनों की श्रेणी अथवा क्षेत्र के संबंध में ऐसे उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल अथवा उससे छूट प्रदान कर सकेगी।
- (2) इस उपबंध के अधीन प्रदान की गई कोई भी शिथिलता इन नियमों के उद्देश्यों के अनुरूप होगी तथा सड़क सुरक्षा अथवा लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (3) राज्य सरकार शिथिलता प्रदान करते समय ऐसी शर्तें अथवा सुरक्षा उपाय अधिरोपित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

21. निर्देश जारी करने की शक्ति।—

- (1) राज्य सरकार इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश, दिशा-निर्देश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी।
- (2) सभी कार्यान्वयन प्राधिकरण एवं रियायतग्राही ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे और वे उन पर बाध्यकारी होंगे।

22. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ।—

- (1) राज्य सरकार द्वारा राज्य नियंत्रणाधीन सड़कों पर उपयोगकर्ता शुल्क के अधिरोपण एवं संग्रहण से संबंधित जारी सभी आदेश, अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश अथवा अनुदेश, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत हैं, इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से असंगति की सीमा तक अधिक्रमित होंगे।
- (2) ऐसे अधिक्रमित के होते हुए भी :—
 - (क) निरसित अथवा अधिक्रमित उपबंधों के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई अथवा किया गया कोई कार्य इन नियमों के तत्संगत उपबंधों के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जाएगी।
 - (ख) विद्यमान रियायत एकरारनामा, संविदाएं एवं व्यवस्थाएं उनकी शर्तों के अनुसार वैध एवं प्रवर्तनीय बनी रहेंगी, जब तक कि उन्हें इन नियमों के अनुरूप विशेष रूप से संशोधित न किया जाए।
- (3) पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण से इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व अर्जित किसी भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट :— अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों के बीच किसी प्रकार की विसंगति अथवा व्याख्या संबंधी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार पाल,
सचिव।

The 6th July 2026

No.-Pra-7/Niyam-01-04/2026-4511(S).—In the landlocked State of Bihar, the Government has accorded the highest priority to the development, upgradation, and maintenance of roads, recognising them as key infrastructure. It will contribute to the next phase of industrialisation, logistics efficiency, mobility and supply chain. It will also boost trade and regional integration. The construction and upgradation of state roads and adoption of modern, sustainable long-term output and performance-based maintenance (OPRMC) system for roads has resulted in improved riding quality, road safety and substantial reduction in travel time.

Whereas the Government of Bihar has undertaken, and intends to further undertake, large-scale development of road infrastructure including state highways, expressways, major bridges, bypasses, tunnels, and access-controlled corridors with the objective of further improving connectivity, reducing travel time, enhancing road safety, and fostering balanced economic growth across the state;

And whereas the development, operation, and maintenance of such road infrastructure necessitate substantial financial resources;

And whereas the modern approach involves the collection of road user fee in order to maintain and provide high-quality safer road infrastructure for road users;

And whereas it is considered necessary and expedient in the public interest to establish a transparent, uniform, and legally robust framework for the levy, determination, and collection of tolls or user fee from users of such infrastructure, based on the principle that beneficiaries of improved facilities should contribute to its development, operation, and maintenance;

And whereas structured tolling frameworks have been adopted by the Government of India and various state governments, including for projects implemented through Public-Private Partnership models, to ensure financial sustainability, service quality, and accountability.

And whereas for tolling in the state of Bihar, there is provision governed under the Bihar Tolls Rules, 1979 (as amended in 1982), together with applicable guidelines and project-specific arrangements, it has become necessary to update and revise the existing framework to align with contemporary practices and technological advancements.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Indian Tolls Act, 1851, as amended by the Indian Tolls (Bihar Amendment) Act, 1965, and in supersession of the Bihar Toll Rules, 1979 (as amended in 1982), except as respects matters already done or omitted before such supersession, The Governor of Bihar, for the collection of fees for the use of sections of project roads, state roads, permanent bridges, bypasses, and tunnels under the control and jurisdiction of the State Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, hereby notifies the Bihar Road User Fee (Determination and Collection of Rates) Rules, 2026.

Bihar Road User Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2026

1. *Short title and commencement.*—

- (1) These rules may be called the Bihar Road User Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

- (3) They shall not apply to agreements and contracts executed and bids invited prior to the publication of these rules.
- (4) They shall apply to agreement and contracts executed and bids invited relating to public funded projects and the build, operate and transfer (annuity) projects prior to the publication of the said rules.

2. *Definitions.—*

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) **"Act"** means the Indian Tolls Act 1851 and as amended by Indian Tolls (Bihar Amendment) Act, 1965;
 - (b) **"Base year"** means the financial year 2026-27, which shall serve as the reference year for initial fixation of user fee rates under these rules;
 - (c) **"Build, Operate and Transfer (annuity) Project"** means a project relating to any Section of a project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, for which an agreement is entered into with a concessionaire, for payment of annual grant for construction of a section of highway;
 - (d) **"Bypass"** means a section of the project road/ State-road bypassing a town or city;
 - (e) **"Concessionaire"** means a person, consortium, joint venture or special purpose vehicle (SPV) which has entered into a concession agreement with the Government of Bihar or an authorised authority with whom an agreement has been entered into;
 - (f) **"Closed User Fee Collection System"** means a system under which the fee is levied based on the actual distance travelled by a mechanical vehicle, on a project road/ State-road. Provided further that no such concession shall be provided for commuting on a project road/ State-road on which fees is levied based on the closed user fee collection system."
 - (g) **"Elevated Highway"** means any section of project road/ State-road raised above ground level through support of piers or columns;
 - (h) **"Executing Authority"** means an officer or authority notified by the Bihar Government;
 - (i) **"Expressway"** means a project road/ State-road having a divided carriageway suitable for high-speed traffic and with full or partial control of access;
 - (j) **"Fee plaza"** means any building, structure or booth made for collection of user fee;
 - (k) **"Financial year"** means the year commencing on the 1st day of April of a year and ending on 31st March of the succeeding year;
 - (l) **"FASTag"** means an onboard unit (transponder) or any such device fitted on the front wind screen of the vehicles; and;

- (m) **“FASTag lane of fee plaza”** is an exclusive lane in the fee plaza for movement of vehicles fitted with “FASTag” or any such device;
- (n) **“Pre-Paid Payment Instrument”** means the instrument as defined by the Reserve Bank of India;
- (o) **“Electronic Toll Collection Infrastructure”** means set of equipment comprising of hardware and software which shall facilitate electronic collection of user fee; through Global Navigation Satellite System On-Board Unit or Automatic Number Plate Recognition Device or FASTag or any combination thereof;
- (p) **“Global Navigation Satellite System On-Board Unit”** means a non-transferable and firmly fitted device in a vehicle linked to Global Navigation Satellite System based user fee collection;
- (q) **“Gross Vehicle Weight”** in respect of any vehicle means the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under;
- (r) **“Lane”** means a lane forming part of the main carriageway and having a minimum width of three metres and fifty centimetres;
- (s) **“Mechanical Vehicle”** means any vehicle driven under its own power including a motor vehicle as defined under the Motor Vehicles Act, 1988;
- (t) **“Notification”** means a notification published in the Official Gazette;
- (u) **“Private Investment Project”** means a project relating to section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, for which an agreement is entered into with a concessionaire;
- (v) **“Public Funded Project”** means a project which is not a private investment project, as defined in clause (u) above and includes a private investment project in respect of which the agreement has expired;
- (w) **‘RCD’** means Road Construction Department, Govt. of Bihar
- (x) **“User Fee”** means the fee levied on road users for use of a project road/ state road, bridge, bypass or tunnel.
- (y) **“Unpaid User Fee”** means the user fee payable by a motor vehicle for the use of a section of a project road/ State-road, where the Electronic Toll Collection Infrastructure has recorded the passage of such vehicle but not received the applicable user fee levied under these rules.
- (z) **“State Road”** means the State owned highways, roads, expressways and or bridges including interchanges, flyovers, ROB/RUB, bypasses, tunnels constructed through any State public funded project or “deposit work/s” and including all such roads falling within any mining areas thereon; but excluding the National Highways and /or bridges inter changes, flyovers, ROB/ RUB, bypasses and tunnels; as constructed through any central government projects.

- (aa) **“Project Road”** means roads under consideration for Construction/ upgradation.
- (bb) **“Mining Areas”** means all such areas falling under the Mines Act, 1952; including the areas falling for the purpose of washing and processing of mined goods, loadings, unloading and transportation of all such mined goods, whether or not falling within any local areas, and as specified in this behalf.

3. **Levy of user fee.—**

- (1) Road Construction Department, GOB may by notification, levy fee for use of any section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel forming part of the project road/ State-road, as the case may be, in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the Road Construction Department, GOB may, by notification, exempt any section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through a public funded project from levy of such fee or part thereof, and subject to such conditions as may be specified in that notification.

- (2) The collection of fee levied under sub-rule (1) of rule 3, shall commence from the date as notified or within forty-five days from the date of completion of the section/ existing road section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, constructed through a public funded project.
- (3) In case of private investment project, the collection of fee levied under sub-rule(1) of rule 3 shall be made in accordance with the terms of the agreement entered into by the concessionaire.
- (4) Notwithstanding contained in rule 3 of these rules; the State Government may, by a notification in the official Gazette, in lieu of the amount of user fee payable under these Rules; provide for a scheme for payment of composition user fee for such period, and payable by all such mechanical vehicles, who are liable to pay user fee for use of any state roads or part thereof commuting in mining areas as the case may be, subject to such conditions and such restrictions, as may be specified and or as prescribed in this behalf.

The levy of such composition user fee shall be based on to & fro basis, and such user fee shall be at such amount for one way, or at such amount(s) as may be specified in this behalf; and such amount(s) may be revised by such amount after such intervals, as may be notified in this behalf.

Any such mechanical vehicle liable to pay the composition user fee under this rule contravenes any of the provisions of this rule for the payment of the specified composition user fee, shall be liable to pay as penalty, the three times the amount of such composition user fee payable.

- (5) No fee shall be levied for the use of the section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, by two wheelers, three wheelers, tractors, combine harvesters and animal-drawn vehicles:

Provided that three wheelers, tractors, combine harvesters and animal-drawn vehicles shall not be allowed to use the section of project road/ State-road,

permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, where a service road or alternative road is available in lieu of the said project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel:

Provided further that where service road or alternative road is available and the owner, driver or the person in charge of a two-wheeler is making use of the section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, he or she shall be charged fifty per cent of the fee levied on a car.

Explanation 1- For the purposes of this rule,

- (a) “Alternative Road” means such other road, the carriageway of which is more than three point seven five metres wide and the length of which does not exceed the corresponding length of such section of project road/ State-road by twenty per cent. thereof;
- (b) “Service Road” means a road running parallel to a section of the project road/ State-Road which provides access to the land adjoining such section of the project road/ State-road.
- (6) The fee notified by the Bihar Government under these rules shall be rounded off and levied in multiple of the nearest Rupees five.

4. Base rate of fee-

- (1) Subject to the provisions in rule 3(1), The rate of fee for use of the section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through public funded project or private investment project shall be identical.
- (2) The fee for use of a section of project road/ State-road of four or more lanes shall, for the base year 2026-27, be the product of the length of such section multiplied by the following rates, namely:-

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	1.25
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	2.00
Bus or Truck (Two Axles)	4.25
Three-axle commercial vehicles	4.60
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	6.65
Oversized Vehicles (seven or more axles)	8.10

Explanation. – For the purpose of this rule, -

- (a) **"car"** or **"jeep"** or **"van"** or **"light motor vehicle"** means any mechanical vehicle the gross vehicle weight of which does not exceed seven thousand five hundred kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988 does not exceed twelve excluding the driver;
 - (b) **"light commercial vehicle"** or **"light goods vehicle"** or **"mini bus"** means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding seven thousand five hundred kilograms but less than twelve thousand kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988, exceeds twelve but does not exceed thirty-two excluding the driver;
 - (c) **"truck"** or **"bus"** means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding twelve thousand kilograms but less than twenty thousand kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988, exceeds thirty-two, excluding the driver;
 - (d) **"heavy construction machinery"** or **"earth moving equipment"** or **"multi axle vehicle"** means heavy construction machinery or earth moving equipment or mechanical vehicle including a multi axle vehicle with four to six axles or vehicle (inclusive of the axle of the trailer, if any) with a gross vehicle weight exceeding twenty-five thousand kilograms but less than sixty thousand kilogram; and
 - (e) **"oversized vehicle"** means any mechanical vehicle having seven or more axles or vehicle with a gross vehicle weight exceeding sixty thousand kilograms;
 - (f) **"three-axle vehicle"** means any mechanical vehicle having three-axles (inclusive of the axle of the trailer, if any) and with a gross vehicle weight, less than or equal to twenty-five thousand kilograms.
- (3) The rate of fee for use of a section of project road/ State-road having carriageway of 2 lane or more but below 4- lane shall be sixty percent of the fee specified under sub-rule (2) of rule 4.
 - (4) The rate of fee for use of a section of project road/ State-road having carriageway of Intermediate Lane (5.5 metre) shall be fifty percent of the fee specified under sub-rule (2) of rule 4.
 - (5) The rate of fee for use of bypass forming part of a section of a project road/ State-road shall be same as specified in sub-rule (2):

Provided that while computing the fee for a section of a project road/ State-road of which such bypass forms a part, the length of such bypass shall be basis of levy of fees.

(6) *Notwithstanding anything contained in this rule-*

- (a) the rate of fee for use of a Section of a project road/ State road consisting of bypass or tunnel constructed through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project, shall be as provided in sub-rule (2), (3) and (4) for the Section of a project road/ State road, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5; and
- (b) the rate of fee for use of permanent bridge constructed through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project, shall be the same on the commencement of these rules, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5:

Provided that notwithstanding whether the Section of the project road/ State road or the bridge has been taken for further lane upgradation or not, the rate of fee for use of a Section of such project road/ State road, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through any public funded project or any build, operate and transfer (annuity) project and before the commencement of the said rules, shall not be increased after the commencement of the Project road/ State roads Fee by more than twenty-five per cent of the rates of fee applicable on the date of such commencement and further annual increase shall in no case be more than twenty-five per cent of the rate applicable in the immediate preceding year:

Provided further that in case of a section of a four-lane highway which has been taken up for upgradation to six-laning, the increase in rate of fee shall be limited to seventy-five per cent of the fee as specified in sub-rule (2) and revised under rule 5 calculated on and from the date of commencement of the work relating to upgradation, till the date of completion of the project according to the agreement entered into with the concessionaire without any annual revision:

Provided also that no user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the agreement entered into with the concessionaire and the date of actual completion of the project.

Explanation - For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

- (7) In case of private investment projects, the rate of fee shall be as specified under sub-rule (2) or such lower rates as concessionaire may determine by giving public notice to the users, specifying in all or any category of vehicles.
- (8) The rate of fee for a section of a four-lane highway shall on and from the commencement of the work relating to upgradation to six laning, be seventy-five per cent, of the fee applicable on the date of commencement of the Bihar Road User Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2026 till the completion of the project without any annual revision:

Provided that no user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the agreement entered into with the concessionaire and the date of actual completion of the project.

Explanation - For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

- (9) The rate of fee for a section of a two-lane highway with paved shoulders but below four-lane on and from the commencement of the work relating to upgradation to four or more lanes, be thirty percent of the fee applicable as specified under sub-rule (2), till the completion of the project, without any annual revision.
- (10) The rate of fee for use of a section of project road/ State-road comprising of structure or structures shall be calculated by adding ten times the length of structure or structures, to the length of the section of project road/ State-road excluding the length of structure or structures, or five times the total length of section of project road/ State-road, whichever is lesser.

Explanation. – For the purpose of this sub-rule, “structure” means an independent bridge, tunnel or flyover or elevated highway.

Illustration (i):

If a section of project road/ State-road has a total length of 40 kilometres, comprising net road length of 10 kilometres and 30 kilometres length of structure, the minimum length shall be computed as follows: -

10×30 (i.e. ten times length of structure) + 10. (i.e. net road length excluding length of structure) = 310 kilometres

or

Five times the total length of the section of project road/ State-road = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometres.

User fee shall be calculated on the lesser length i.e. for 200 kilometres.

Illustration (ii):

If a section of project road/ State-road has a total length of 40 kilometres, comprising net road length of 30 kilometres and 10 kilometres length of structure, the minimum length shall be computed as follows:-

10×10 (i.e. ten times length of structure) + 30 (i.e. net road length excluding length of structure) = 130 kilometres

or

Five times the total length of section of a project road/ State-road = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometres

User fee shall be calculated on the lesser length i.e. for 130 kilometres.

Illustration (iii):

If a section of project road/ State-road has a total length of 40 kilometres, comprising of structure alone, the minimum length shall be computed as follows: -

10×40 i.e. ten times length of structure) = 400 kilometres.

or

Five times the total length of section of a project road/ State-road = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometres

User fee shall be calculated on the lesser length i.e. for 200 kilometres:

Provided that the calculation of fee shall not apply to any structure or structures, forming part of project road/ State-road, if length of such structure is sixty meters or less and it shall be considered as part of normal length of the section of project road/ State-road.

- (11) Provided that structure of 60 meters of length or less, on a linear highway or expressway will be considered as part of the normal length of highway or expressways for calculation of fee.

5. *Annual revision of rate of fee-*

- (1) The rates specified under rule 4 shall be increased without compounding, by three per cent each year with effect from the 1st day of April, 2027 and such increased rate shall be deemed to be the base rate for the subsequent years.
- (2) The applicable base rates shall be revised annually with effect from April 1 each year to reflect the increase in wholesale price index between the week ending on January 3, 2026 (i.e., 157.2) and the wholesale price index for the month of December of the year in which such revision is undertaken but such revision shall be restricted to forty per cent of the increase in wholesale price index.
- (3) The formula for determining the applicable rate of fee shall be as follows: -

Applicable rate of fee = base rate + base rate $\times$ [(WPI A – WPI B) / WPI B] $\times$ 0.4

Explanation - For the purposes of this sub-rule,

- a. applicable rate of fee shall be the rate payable by the user;
 - b. base rate shall be the rate specified in rule 4 read with sub-rule (1) of rule 5;
 - c. WPI A means the wholesale price index for the month of December of the year immediately preceding the date of revision under these rules; and
 - d. WPI B means the wholesale price index of the week ending on 3th January, 2026, i.e., [157.2].
- (4) Annual revision of rate of fee under this rule shall be effective from first April every year.

6. *Collection of fee-*

- (1) Fee levied under these rules shall be collected by the Bihar Government or the executing authority or the concessionaire, as the case may be, at the fee plaza.
- (2) Every driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle shall for the use of the section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, before crossing the fee plaza, pay the fee specified under these rules.
- (3) The fee collected under these rules shall be paid either in cash or through pre-paid payment instruments, smart card or through FASTag or on-board unit (transponder) or any other like device:

Provided further that the fee payable towards discounts as under sub-rules (2), (3) and (3A) of rule 9, shall be paid through pre-paid instruments, smart card or through FASTag or on-board unit (transponder) or any other such device.

Provided also that exclusive lane can be earmarked for Global Navigation Satellite System On-Board Unit fitted vehicle and in case vehicle enters such lane, without a

valid, functional Global Navigation Satellite System On-Board Unit, shall pay a fee equivalent to two times of the user fee applicable at that fee plaza:

- (3A) If the user of a vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, he or she shall pay two times of the user fee applicable to that category of vehicle under sub-rule (2) of rule 4:

Provided that if the user of the vehicle, without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, opts to pay fee through the Unified Payment Interface (UPI), he or she shall pay 1.25 times of the user fee applicable to that category of vehicle under sub-rule (2) of rule 4.

Illustration: If the user fee for a particular class of vehicle as per sub-rule (2) of rule 4 is rupees hundred and if that vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, the user of that vehicle shall pay two times of the user fee (i.e. rupees two hundred in cash) and in case, if the user of that vehicle opts to pay fee through Unified Payment Interface (UPI), he shall pay 1.25 times (i.e. rupees one hundred and twenty five only).

- (3B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3A), if the user of a vehicle with a valid, functional FASTag having sufficient balance in the linked account while crossing a fee plaza could not pay the user fee through FASTag owing to malfunctioning of the electronic toll collection infrastructure, the vehicle user shall be permitted to cross the fee plaza without payment of any user fee and a zero-transaction receipt shall be issued for that transaction.”;
- (4) Any driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle who opts for the installation of on board unit (transponder) or any other such device for payment of fee, shall deposit a refundable security equivalent to the cost of the equipment with the Bihar Government, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, for such installation and no interest shall accrue on such security deposit.
- (5) The state Government or the executing authority or the Concessionaire, as the case may be, receiving fee under sub-rule (3A) and rule 10 shall issue a receipt, to the user of vehicle, specifying therein the date and time of receipt of fee, total amount received and the class of vehicle for which the fee has been received.”
- (6) (a) The fee shall be collected by the Bihar Government or the executing authority as the case may be and for a specified period in accordance with the terms of agreement entered by the Concessionaire.
- (b) The fee as notified as per Concession Agreement shall be leviable till the end of the concession period and after the concession period is over, the fee shall be collected by the Bihar Government or the executing authority as per the fee specified in sub-rule (2) of rule 4 on the date of transfer of such section of the Project road/ State road, bridge, tunnel or bypass, as the case may be, to be revised annually in accordance with these rules:
- Provided that in respect of a public funded project, the fee leviable shall continue to be collected in perpetuity for such section of the project road/ State-road, bridge, tunnel or bypass, as the case may be and shall be revised annually in accordance with these rules”.
- (7) In respect of public funded projects, the fee levied under these rules shall be collected by the Bihar Government, or the executing authority, as the case may be, through its own officials or through a contractor.

6A. *Electronic Toll Collection and FASTag Compliance*

- (1) ***Mandatory Electronic Toll Collection.***— Collection of user fee under these Rules shall, as far as practicable, be carried out through electronic toll collection systems, including FASTag, or such other technology as may be notified by the Government of India and acceptable to Government of Bihar or the State Government from time to time.
- (2) ***Mandatory Use of FASTag.***—Save as may be otherwise notified by the State Government for specified categories of vehicles or exceptional circumstances, every mechanical vehicle using a tolled section of a state road /project road, bridge, bypass or tunnel shall be required to carry a valid and functional FASTag affixed on the vehicle.
- (3) ***FASTag-Enabled Infrastructure.***—The implementing authority or the concessionaire, as the case may be, shall ensure that all toll plazas are equipped with FASTag-compliant lanes, readers, cameras, back-end systems and connectivity, in accordance with the standards and guidelines issued by NPCI(National Payment Corporation of India), Government of India and Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) or any other competent authority.
- (4) ***Levy of Higher User Fee for Non-FASTag Vehicles.***—Where a mechanical vehicle does not carry a valid FASTag, or the FASTag is blacklisted, inactive or unreadable due to reasons attributable to the user, such vehicle shall be liable to pay user fee at twice the applicable rate, or such higher rate as may be notified by the State Government, in line with the national electronic tolling policy.
- (5) ***No Waiver on Account of User Default.***—Failure of FASTag due to insufficient balance, improper affixation, tampering or user negligence shall not be treated as a system failure, and the vehicle shall be liable to pay the applicable higher user fee.
- (6) ***Wrong Lane Usage.***—Any vehicle equipped with FASTag that enters or passes through a non-designated lane, including a cash lane or restricted lane, in contravention of displayed instructions, shall be deemed to have committed a violation and shall be liable to pay user fee at twice the applicable rate, in addition to any other action as may be prescribed.
- (7) ***Misuse or Tampering of FASTag.***—Any act of tampering with FASTag, use of invalid, cloned or unauthorised FASTag, or use of a FASTag issued for another vehicle shall constitute misuse and may result in:
 - (a) recovery of differential or penal user fee;
 - (b) blacklisting of the FASTag or the vehicle in the electronic toll collection system; and
 - (c) initiation of action under applicable laws.
- (8) ***Blacklisting and Denial of Passage.***—Repeated violations relating to electronic toll collection, including evasion, misuse or non-payment, may result in blacklisting of the vehicle or FASTag, and such vehicle may be denied passage until outstanding dues and penalties are cleared.
- (9) ***Annual or Long-Term Passes through FASTag.***—The State Government may, by notification, introduce annual or long-term FASTag-based passes for specified categories of vehicles, corridors or users, subject to such terms and conditions, validity, rates and eligibility criteria as may be prescribed, in line with national policy.

- (10) ***System Failure or Network Outage.***—In the event of system failure, network outage or technical malfunction not attributable to the user, the implementing authority or the concessionaire shall follow such fallback procedures as may be prescribed by the State Government, ensuring minimal inconvenience to road users and prevention of revenue leakage.

7. *Remittance and appropriation of fee.*—

- (1) Executing agency shall deposit the amount so collected/ agreement amount in Executing Authority designated account within such time as per provision of the agreement.
- (2) In case of public funded projects, the fund collected, under the provisions of these rules by executing authority(ies), shall be deposited in whole or part thereof in separate account for repayment of debt as per instructions by Road Construction Department. The balance amount if any, shall be deposited in consolidated fund of Bihar Government as per prevalent provisions in Bihar Financial rules and Bihar treasury code.

Provided further that in case of private investment projects, the fee collected under the provisions of these rules shall be appropriated by the concessionaire in accordance with the provisions of and for the performance of its obligations under the agreement entered into by such concessionaire.

- (3) The state Government shall by notification shall approve separately the administrative and management expenses toward executing authority. A separate budget shall be provided and to be spent through exclusive and designated head of expenses.

8. *Location of Fee plaza.*—

- (1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall establish a fee plaza beyond a distance of ten kilometres from the limits of any municipal or local town area:

Provided that the executing authority may, for reasons to be recorded in writing, locate or allow the concessionaire to locate a fee plaza within a distance of ten kilometres of such municipal or local town area limits, but in no case within five kilometres of such municipal or local town area limits:

Provided further that where a section of the project road/ State road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipal or town area limits or within five kilometres from such limits, primarily for use of the residents of such municipal or town area, the fee plaza may be established within the municipal or town area limits or within a distance of five kilometres from such limits.

- (2) Any other fee plaza on the same section of project road/ State-road and in the same direction shall not be established within a distance of forty kilometres:

Provided that where the executing authority deems necessary, it may for reasons to be recorded in writing, establish or allow the concessionaire to establish another fee plaza within a distance of forty kilometres:

Provided further that a fee plaza may be established within a distance of forty kilometres from another fee plaza if such fee plaza is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel.

- (3) Notwithstanding anything in sub-rules (1) and (2), the executing authority or the concessionaire may establish fee plaza on the project road/ State-road on which the closed user fee collection system is operational.

9. Discounts.—

- (1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, provide for multiple journeys to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule (2) of rule 9.
- (2) A driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle who makes use of the section of project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel, and he or she shall have to pay the fee in accordance with the following rates, namely: -

Amount payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- (3) A Person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose, having a valid and functional FASTag, and uses it as such for commuting on a section of Project road/ State road, permanent bridge, bypass or tunnel, may obtain a pass, on a payment of fee at the base rate
- (4) for the year 2026-2027 of **Rupees Two hundred and ninety** per calendar month and revised annually in accordance with rule 5, authorising it to cross the particular single toll Plaza specified in such pass.

Provided that such or any discounts shall not be expanded beyond a fee plaza gate of another state road, standalone Bridge or any other structure or any other section of road.

- (5) A person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose, having a valid and functional FASTag, shall be eligible to obtain a pass on payment of fee of **Rupees two thousand five hundred and fifty** which shall be valid for one year or for two hundred crossings through any fee plaza on a project road / state road , whichever is earlier, irrespective of the fee leviable at each fee plaza and revised annually in accordance with rule 5.
- (6) No pass shall be issued or fee collected from a driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle that uses part of the section of a project road/ State-road and does not cross a fee plaza.

10. Rate of fee for overloading.—

- (1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, where a mechanical vehicle using a Project road/ State road is found to be loaded in excess of the permissible maximum gross vehicle weight, the details of such vehicle along with excess load details shall be reported to the National Vehicle Register (VAHAN).

- (2) The sum total of the unladen weight of mechanical vehicle and the weight of the load carried by it shall be identified through any appropriate weight measurement device as may be notified, by the Government and installed at the fee plaza and shall form the basis for determination of excess load, if any, after deduction of the gross vehicle weight:

Provided that where no such weight measurement device has been installed at the fee plaza, no fee for overloading shall be levied and collected, and the driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle, as the case may be, shall be liable to pay fee applicable for such vehicle only.

- (3) The driver, owner or person in-charge of the mechanical vehicle, as the case may be, shall be liable to pay fee for the overloaded vehicle using a Project road/ State roads, which shall be collected through digital payment means including FASTag or Unified Payment Interface (UPI) or any other electronic means as may be notified by the Central Government and acceptable to Government of Bihar or the State Government from time to time, at the rates specified in the Table below, namely:—

TABLE

Percentage of excess load over Maximum Permissible gross vehicular weight.	Multiplying factor to applicable rate of fee.	Fee.
(1)	(2)	(3)
Up-to 10%	No overload fee	[(Fee applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (multiplying factor)]
Over 10% but upto 40%	2	
Over 40%	4	

Illustration: If for a three-axle rigid truck, the permissible Gross Vehicular Weight (GVW) is 28.5 tonnes. It's 110 % (i.e. 10% excess load over maximum permissible gross vehicular weight) is 31.35 tonnes and 140% (i.e. 40% excess load over maximum permissible gross vehicular weight) is 39.90 tonnes. No overload fee shall be levied upto 31.35 tonnes and above 31.35 tonnes, calculation of overload fee for this truck shall be as specified in the Table below namely:-

TABLE

Maximum Permissible gross vehicular weight (in metric tonnes)	Multiplying factor to applicable rate of fee.	Fee.
(1)	(2)	(3)
Upto 31.35 T	No overload fee	[(Fee applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (multiplying factor)]
Over 31.35 upto 39.90 T	2	
Over 39.90 T	4	

- (4) If such a vehicle enters a Project-road/ State-road without a FASTag or valid, functional FASTags as the case may be, the provisions of sub rule (3) of Rule 6 shall also apply for calculation of fee rates as per the provisions of sub-rule (3).
- (5) The provisions of this rule shall not apply to private investment projects executed prior to commencement of this rule unless the concessionaire expresses their consent to be governed by this provision without demand for any compensation.

11. Exemption from payment of fee.—

- (1) No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle and a security vehicle-

(a) transporting and accompanying.—

- (i) the President of India;
- (ii) the Vice-President of India;
- (iii) the Prime-Minister of India;
- (iv) the Governor of a State;
- (v) the Chief Justice of India;
- (vi) the Speaker of the House of People;
- (vii) the Cabinet Minister of the Union;
- (viii) the Chief Minister of a State;
- (ix) the Judge of the Supreme Court;
- (x) the Minister of State of the Union;
- (xi) the Lieutenant Governor of a Union territory;
- (xii) the Chief of Staff holding the rank of full General or equivalent rank;
- (xiii) the Chairman of the Legislative Council of a State;
- (xiv) the Speaker of the Legislative Assembly of a State;
- (xv) the Chief Justice of a High Court;
- (xvi) the Judge of a High Court;
- (xvii) Advocate General of the State
- (xviii) the Member of Parliament;
- (xix) the Army Commander or Vice-Chief of Army Staff and equivalent in other services;
- (xx) the Chief Secretary to a State Government;
- (xxi) the Secretary to the Government of India;
- (xxii) the Secretary, Council of States;
- (xxiii) the Secretary, House of People;
- (xxiv) the Foreign dignitary on State visit;
- (xxv) The Member of Legislative Assembly of a State and the Member of Legislative Council of a State, if he or she produces his or her identity card issued by the concerned Legislature of the State;

- (xxvi) The awardee of Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his or her photo identity card duly authenticated by the appropriate or competent authority for such award;

Explanation- For the purpose of this clause, “security vehicle” means the vehicle carrying security personnel from Central armed forces or Central paramilitary forces or State Police;

(b) used for official purposes by,

- (i) the Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made there under, as extended to Navy also;
- (ii) the Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;
- (iii) an executive Magistrate on duty;
- (iv) a fire-fighting department or organisation;
- (v) the project road/ State-road Authority or any other organisation or person using such vehicle for inspection, survey, construction or operation and maintenance thereof; and
- (c) used as an ambulance.
- (d) used as a funeral van.
- (e) specially designed and constructed for use of a person suffering from some physical defect or disability or registered with Ownership type as “DIVYANGJAN” under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.
- (f) An official mechanical Vehicle carrying officials as notified by state government.

12. Display of Information.—

- (1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall publish a notice specifying the amount of fee to be charged from the mechanical vehicle, in at least one newspaper, each in English and Hindi language, having a wide circulation in such area.
- (2) The executing authority shall prominently display in Hindi and English one thousand metres and five hundred metres ahead of the fee plaza—
 - (i) the amount of fee payable for each class of vehicles and the discounts available under rule 9;
 - (ii) the categories of vehicles exempted from payment of fee; and
 - (iii) the name, address and telephone or contact number of the executing authority or the concessionaire, as the case may be.
- (3) The height of the display boards, their quality and size of lettering shall be as per latest IRC guidelines & as instructed by the authority and clearly visible and legible to the users.

13. *Unauthorised collection.*—

- (1) An officer authorised by the Bihar Government or by the executing authority, as the case may be, may assess the excess fee collected, if any, by the executing authority or the concessionaire, as the case may be, and recover the same from such authority or concessionaire, along with an additional sum equal to twenty-five percent of the excess fee collected:

Provided that no recovery of such excess fee shall be made unless an opportunity of hearing has been given to the executing authority or concessionaire, as the case may be.

- (2) Any driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle aggrieved by unauthorised collection of fee, may lodge a complaint with the officer authorised by the Bihar Government or the executing authority, as the case may be, in this behalf, who shall after hearing the parties pass an order within thirty days on such complaint for refund of excess payment and damages for the inconvenience suffered by such user.

14. *Failure to pay fee.*—

- (1) If any driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle does not pay or refuses to pay the fee for use of project road, State road, permanent bridge, bypass or tunnel, his or her vehicle shall not be allowed to use such section of project road/ State road, permanent bridge, bypass or tunnel and in case such vehicle obstructs the normal flow of traffic, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, may get such obstructing vehicle removed from the project road/ State road, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be.

- (2) Where the driver or the person in charge of a mechanical vehicle refuses or fails to pay the fee levied under these rules, the same shall be recovered from the registered owner of the mechanical vehicle.

- (2A) For the purposes of giving effect to sub-rule (2), unpaid user fee shall be recovered from the owner of the mechanical vehicle in the following manner, namely: -

- (a) electronic notice (hereinafter referred to as the “e-notice”) shall be issued specifying the details of the vehicle, the date and location of occurrence, and the amount of unpaid user fee payable, in the name of the owner of the vehicle as available in the National Vehicle Registry (VAHAN);
- (b) e-notice may be served by electronic means including Short Message Service (SMS), electronic mail (e-mail), mobile-based messaging applications, or through such other electronic mode as may be specified by the Bihar Government, and may also be served in physical form;
- (c) e-notice shall be made available on online portal to be specified by the Bihar Government for this purpose;
- (d) the Bihar Government or its executing authority may undertake technical and system integration of the National Electronic Toll Collection system with the National Vehicle Registry (VAHAN) as may be necessary for the purposes of enforcement measures, and realisation of such unpaid user fee.

- (2B) The unpaid user fee payable in pursuance of an e-notice issued under sub-rule (2A) shall be an amount equal to two times the user fee applicable to the concerned category of vehicle, as specified under sub-rule (2) of rule 4, and shall be paid

through electronic mode or through such other mode of payment, as may be specified by the Bihar Government from time to time:

Provided that where the unpaid user fee is paid within seventy-two hours from the time of issuance of the e-notice, the amount payable shall be limited to the user fee applicable to the concerned category of vehicle, as specified under sub-rule (2) of rule 4.

(2C) Any owner or driver of a mechanical vehicle aggrieved by an e-notice may, within seventy-two hours from the time of issuance thereof, submit a representation through the designated electronic portal.

(2D) Where a representation has been submitted under sub-rule (2C), the executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall examine and dispose of such representation and communicate its decision to the registered owner by electronic means within five days from the date of receipt of such representation:

Provided that, in case the representation not disposed of on the expiry of five days from the date of receipt of representation, then the claim of the executing authority or concessionaire to the unpaid user fee shall cease.

(2E) If the owner or driver of a mechanical vehicle fails to pay the unpaid user fee within fifteen days from the date of the issuance of the e-notice and no representation made under sub-rule (2C) is pending, the amount of unpaid user fee under sub-rule (2B) recoverable from the vehicle owner shall be posted onto the National Vehicle Registry (VAHAN); and such restrictions may be imposed on the services provided in respect of the such vehicle through VAHAN, as may be specified by the Bihar Government, until the unpaid user fee is paid.

(3) Where the Bihar Government, executing authority or the concessionaire, as the case may be, has reason to believe that a mechanical vehicle is plying on a section of the project road/ State-road, permanent bridge, bypass or tunnel without payment of fee due, it may stop such vehicle for the purpose of verifying the payment thereof and collect the fee due from such vehicle.

15. Power of Bihar Government to verify records.—An officer duly authorised by the Bihar Government or the executing authority, as the case may be shall have the power to verify the collection of fee, and inspect any document, records, other information, receipts or reports of the executing authority or the concessionaire, as the case may be.

16. Collection of fee in respect of Private Investment Project.—

(1) The fee levied under the provisions of sub-rule (3) of rule 3 shall be collected by the concessionaire till its agreement is in force.

(2) On and from the date of expiry of the agreement specified under sub-rule (3) of rule 3, the fee levied shall be collected by the Bihar Government or the executing authority, as the case may be.

17. Bar for installation of additional barrier.—No barrier shall be installed at any place, other than at the fee plaza, except with the prior permission in writing of the Bihar Government or the executing authority, as the case may be, who after being satisfied that there is evasion of fee, may allow on such terms and conditions as it may impose, the installation of such additional barrier by the Bihar Government, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, within ten kilometres from the fee plaza, to check the evasion of fee:

Provided that the Bihar Government or the executing authority, as the case may be, may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such permission:

Provided further that where the Bihar Government or the executing authority, as the case may be, do not allow installation of an additional barrier by the concessionaire, the reasons for such refusal shall be communicated to such concessionaire within a reasonable period.

18. *Audit, Accounts and Revenue Management.*—

- (1) The implementing/executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall maintain proper books of accounts, records and documents relating to levy, collection, remittance and utilisation of user fee in such form and manner as may be specified by the State Government.
- (2) All user fee collections shall be accounted for on a daily basis, and deposited or remitted in accordance with the terms of the concession agreement or instructions issued by the implementing authority.
- (3) The accounts relating to user fee collection shall be subject to:
 - (a) internal audit by the implementing/executing authority;
 - (b) statutory audit by a Chartered Accountant appointed in accordance with applicable law;
 - (c) special audit or inspection as may be directed by the State Government or the Comptroller and Auditor General of India, where applicable.
- (4) The implementing/executing authority or the concessionaire shall provide full access to toll transaction data, electronic toll collection records, bank statements, reconciliation, statements and supporting documents to the auditing authority.
- (5) Any shortfall, excess collection, revenue leakage or irregularity detected during audit shall be recovered or rectified, as the case may be, in accordance with the directions of the State Government, without prejudice to imposition of penalty or other action under these Rules or the concession agreement.
- (6) The State Government may prescribe standard operating procedures for revenue management, reconciliation, reporting formats and timelines to ensure transparency and accountability in toll operations.

19. *Technology Framework and FASTag Compliance.*—

- (1) Dedicated lanes shall be provided for electronic toll collection, and appropriate measures shall be taken to ensure interoperability, data accuracy and real-time transaction processing.
- (2) Persistent or deliberate non-compliance with prescribed technology standards or FASTag requirements shall constitute a material breach, and may attract penalties, suspension of toll collection rights or other action as may be provided under the concession agreement or these Rules.

20. *Power to Relax.*—

- (1) The State Government may, if it is satisfied that the operation of any provision of these Rules or these Rules causes undue hardship or is otherwise not in public interest, relax or exempt the application of such provision in respect of any project, class of projects, road, category of vehicles or area, by a reasoned order to be recorded in writing.

- (2) Any relaxation granted under this clause shall be consistent with the objectives of these Rules and shall not adversely affect road safety or public interest.
- (3) The State Government may impose such conditions or safeguards while granting relaxation as it may deem fit.

21. Power to Issue Directions.—

- (1) The State Government may issue such directions, guidelines or clarifications as may be necessary for effective implementation of these Rules.
- (2) All implementing authorities and concessionaires shall comply with such directions, which shall be binding on them.

22. Repeal and Savings.—

- (1) All orders, notifications, guidelines or instructions issued by the State Government relating to levy and collection of user fee on State-controlled roads and inconsistent with the provisions of these rules shall stand superseded to the extent of such inconsistency from the date of commencement of these Rules.
- (2) Notwithstanding such supersession:
 - (a) anything done or any action taken under the repealed or superseded provisions shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Rules.
 - (b) existing concession agreements, contracts and arrangements shall continue to remain valid and enforceable in accordance with their terms, unless specifically modified in conformity with these Rules.
- (3) The supersession of previous orders shall not affect any rights, obligations or liabilities accrued prior to the commencement of these Rules.

Note:- In the event of any discrepancy between the English and Hindi versions or any difference between in interpretation, the English version shall prevail.

By the Order of Governor of Bihar,
PANKAJ KUMAR PAL,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1055-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>